न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 104 / 2022

डा. रामकिशन जाटव, पुत्र श्री घीसाराम जाटव पेंशनर्स पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी, निवासी 152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम.अस्पताल के पीछे,दीनदयाल नगर भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 31.01.2023

अपीलार्थी डा. रामकिशन जाटव, पुत्र श्री घीसाराम जाटव पेंशनर्स पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी, निवासी 152 दीनदयाल नगर, आर.बी.एम. अस्पताल के पीछे, दीनदयाल नगर भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी,भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 43 दिनांक 11.1.23 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 23.1.2023 शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना कोषाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ कोष / पेंशन / 2544 दिनांक 23.1.2023 का अवलोकन किया गया, कोषाधिकारी भरतपुर ने अपने उक्त पत्र जबाब में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना जरिये पत्र कमांक / कोष / पेंशन / 2022—23 / 2135 दिनांक 12.12.2022 से उसके निवास के पते पर प्रेषित की जाचुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कहना कि कोषाधिकारी भरतपुर लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है स्वीकार योग्य नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निणर्य की प्रति कोषाधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर